अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल, सीतामढी।

पत्रांकः— 348 / सीतामढी / दिनांकः— 14/03/24

प्रेषक,

ई0 दीपनारायण प्रसाद
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सीतामढ़ी।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, पुपरी।

विषय शीर्ष NABARD योजनान्तर्गत **Construction of RCC Box Culvert Bangaon Uttari in Mahmada Main Road Under State Scheme (Tender ID- 131580)** का निर्माण कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में।

प्रसंगः— मुख्य अभियंता–6, दरभंगा, ग्रामीण कार्य विभाग का पत्रांक– 164, दिनांक– 13.03.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लोक निर्माण संहिता के कण्डिका–163 के आलोक में इस कार्य में न्यूनतम दर निविदाकार संवेदक **Priyanka Prashar** (बीड आई0डी0–572632) को उद्धृत दर, जो कि परिमाण विपत्र की दर से (–) 15.65 प्रतिशत कम पर, अर्थात् कुल राशि 53,06,690.00 (तिरपन लाख छः हजार छः सौ नब्बे रूपये) मात्र की लागत पर कार्य हित में आवंटित किया जाता है।

2. इस कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूरा करना है।
3. सभी वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त कर जाँचोपरान्त यथा शीघ्र एकरारनामा कर लेंगे अन्यथा निविदा की वैधता समाप्त की जा सकती है।
4. आपूर्ति लेने वाले सामाग्रियों की गुणवत्ता की आवश्यक जाँच कराकर एवं जाँचफल से संतुष्ट होकर ही कार्य में व्यवहार करेंगे।
5. नियमानुसार विपत्र में आयकर/बिक्रीकर/रॉयल्टी एवं शेष इत्यादि की कटौती कर लेंगे।
6. कार्य मानक विशिष्टिओं के अनुरुप ही करायें।
7. किसी भी परिस्थिति में एकरारनामा से अधिक का कार्य नही करायेंगे जो उपलब्ध आवंटन पर आधारित होगा एवं दायित्व का सृजन नही करेंगे।
8. प्रासंगाधीन पत्र के द्वारा प्राप्त सभी निविदा कागजात मूल में इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस्त किया जाता है।
9. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु जाँच अपने स्तर से स्वंय कर लेंगे एवं त्रुटी पाये जाने पर वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटी के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कर्रवाई करेंगे।
10. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद की भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वंय कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित कर लेंगे कि इसमे कोई त्रुटी न हो।
11. कार्य समाप्ति की अवधि परिमाण विपत्र के अनुसार होगी।
12. कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व कार्यपालक अभियंता स्वयं अपने स्तर से संतुष्ट हो लेंगे की संबंधित निविदाकार क्मनिसजमत/काली/कार्यों के लंबित रखने वाले संवेदकों की सूचि में नहीं है।
13. संवेदक द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये संबंधित एन0एस0सी0/पास बुक आदि का सत्यापन संबंधित डाक घर से कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेख किया जायेगा। कार्यपालक अभियंता कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राशि के सत्यापन संबंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

Priyanka Parashar

विश्वासभाजन
14/03/24
(ई0 दीपनारायण प्रसाद)
अधीक्षण अभियंता

15/3/24

Scanned with CamScan